REVIEW OF RESEARCH

# डिजिटलीकरण की दुनिया में राजभाषा हिन्दी

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

अजित्रा .आर .एस

शोधार्थी, हिन्दी विभाग, महात्मागाँधी कॉलेज, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनन्तपुरम.

दुनिया भर में लोग हिन्दी के शौकीन हो रहे हैं , इसलिए हिन्दी को अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने की कोशिश करना महत्वपूर्ण बात है । जैसा कि हम अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से लाभान्वित होते हैं, इसका प्रभाव भाषाई क्षेत्र में भी देखा जा सकता है ।आज कंप्यूटर पर हिंदी के बढ़ते उपयोग ने देश के सरकारी कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में मदद की है। आज लोग बहुत कम मेहनत से आसानी से कंप्यूटर पर हिंदी का उपयोग कर पा रहे हैं । कंप्यूटर पर हिंदी भाषा की उपलब्धता बढाने एवं हिंदी फॉन्ट के निर्माण और सुधार में सी डैक जैसे संस्थाओं अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है । C-DAC को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि भारत में आईटी का प्रवेश तभी संभव है जब हम इस भाषा की बाधा को दूर करने के लिए उपकरण और तकनीक विकसित करेंगे। इसलिए, पिछले 25 वर्षों से, C-DAC भाषा प्रौद्योगिकी और विरासत कम्प्यूटिंग में अग्रणी शोध कर रहा है। हिंदी सॉफ्टवेयर का कार्य सर्वप्रथम सी- डैक द्वारा 90 के दशक में किया गया था । यूनिकोड की आगमन से कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह सभी अनुप्रयोगों में हिंदी का प्रयोग करना संभव हो गया । हिंदी का मानक कीबोर्ड इन-स्क्रिप्ट के ज़रिए हिंदी टाइपिंग अधिक लोक प्रिय बन गया । कंप्यूटर में अब देवनागरी लिपि में काम चलने के कारण अंग्रेजी से अनभिज्ञ लोग भी ऑनलाइन जाकर हिन्दी में लिखकर काम करते हैं । देश के ग्रामीण लोगों के बीच में भी स्मार्टफोन एवं इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक तेजी से बढ़ रहा है ।

भारत सरकार 2015 में 'डिजिटल इंडिया' आयोजित किया गया । देश में डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान व्यवस्था देना इसका उद्देश्य है । डिजिटल इंडिया यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिकों को डिजिटल शक्ति प्रदान करना एवं उनकी मांग पर शासन और सेवाएं प्रदान करना । इसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ते हैं और कागज के बिना सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंचते हैं ।

14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया । इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई । इसके फलस्वरूप आगे भारत सरकार राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए अधिक महत्व दिया । संघ की राजभाषा नीति के अनुसार केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में सक्षम होना अनिवार्य बना । और यहाँ के कर्मचारियों के लिए हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना पड़ा ।

किसी कर्मचारी को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएँ ये हैं - (क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई

परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

(ग) यदि वह इन नियमों से उपलबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है ।

केंद्रीय सरकार के सभी सरकारी - गैर सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता रहा है । हिंदी को प्रशासनिक, कार्यालयी व व्यावसायिक स्तरों पर प्रयोग में लाने के लिए शब्दावली निर्माण के साथ-साथ हिन्दी में कार्य करने के लिए कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर व अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था व सुविधएं प्रदान की जा रही हैं।सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने , एवं कर्मचारियों के बीच हिंदी ज्यादा से इस्तेमाल करने के लिए कार्यालयों के कंप्यूटरों में कई वेब टूल्स स्थापित किए । एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत में हिंदी के 201 मिलियन इंटरनेट प्रयोग कर्ता होंगे । लोगों को हिंदी भाषा में ही समाचार, विज्ञापन, संगीत, वीडियो, डिजिटल राईट अप, भुगतान पोर्टल, ऑनलाईन गवर्नमेंट सर्वीसेज, डिजिटल क्लासीफाईड उपलब्ध करवाना होगा, तभी देश में डिजिटल क्रांति का स्वप्न साकार होगा।

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्देशों के अधीन संबंधित मंत्रियों की अध्यक्षता में सभी मंत्रालयों / विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां अपने संबंधित मंत्रालयों / विभागों तथा कार्यालयों और उपक्रमों में हिन्दी के उपयोग की प्रगति की समीक्षा आवधिक रूप से करती हैं और हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के सुझाव देती हैं । इस प्रकार कार्यालयों से दी गई तिमाही प्रगति प्रतिवेदन में एकरूपता लाने के लिए इसे ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त करने के लिए सफल प्रयास करने का प्रारंभ किया गया । प्रतिवेदन में राजभाषा तिमाही प्रगति प्रतिवेदन भरने के लिए आॅनलाइन माॅड्यूल राजभाषा कार्यान्वयन हेतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

ऑनलाइन हिंदी तिमाही रिपोर्ट हेतु सूचना प्रबंधन प्रणाली राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने शुरु किया । सभी राजभाषा अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों ने इस पर पंजीकरण खुला करके राजभाषा विभाग के साइट पर जाकर पंजीकरण करें तथा अपने कार्यालय की रिपोर्ट ऑनलाइन भरें। इसका एक फायदा किसी भी समय पिछले वर्षों के निष्पादन की तुलना करना है।

14 सितंबर 2017 को राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी स्वयं शिक्षण हेतु बहुभाषिक 'लीला एप्प' का अनावरण माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया । 'लीला प्रबोध' 'प्रवीण' तथा 'प्राज्ञ' पाठ्यक्रम हेतु इस ऐप विकसित किया गया है । LILA-Rajbhasha ( : Learn Indian Languages through Artificial Intelligence) हिंदी सीखने के लिए एक बहु-मीडिया आधारित बुद्धिमान अनुप्रयोग है। LILA का उपयोग करना, अपने मोबाइल पर एक भाषा सीखना वास्तव में खेलने के रूप में सुखद हो सकता है। इस ऐप की मुख्य विशेषताएँ ये हैं -

1. यह मोबाइल पर हिंदी सीखने के लिए निशुल्क उपलब्ध है।
2. यह गूगल तदा एप्पल एप्स स्टोरों में उपलब्ध है । स्टोर के सर्च में 'लीला राजभाषा' डाउनलोड किया जा सकता है।
3. 'लीला मोबाइल ऐप' पूर्णतया यूजर - फ्रेंडली है ।
4. इसके द्वारा अंग्रेजी, असमिया बंगला , नेपाली , पंजाबी , गुजराती, मराठी , तमिल , तेलुगू कन्नडा और मलयालम के माध्यम से हिंदी सीखी जा सकती हैं।

इच्छुक कर्मचारी https://lilappp.cdac.in/newhome.asp लिंक पर पंजीकरण करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

राजभाषा विभाग ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनकोडिंग की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए सभी केंद्रीय कार्यालय को कंप्यूटरों में यूनिकोड एनकोडिंग प्रणाली अथवा यूनिकोड समर्थित ओपन टाइप फोंट का प्रयोग करने का निदेश दिया है। यूनिकोड एक टेक्नोलॉजी मानक है । यूनिकोड मानक में विश्वस्तर पर एवं प्रचलित सभी लिपियों के वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के लिए यूनिक कोड प्रदान किया गया है। कंप्यूटर पर एकरूपता के लिए एकमात्र विकल्प कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए यूनिकोड है । इससे हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही सरलता से

100% कार्य किया जा सकता है, कंप्यूटर पर हिंदी में सभी कार्य जैसे - वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वैबसाइट निर्माण आदि किए जा सकते हैं, हिंदी में बनी फाइलों का आसानी से आदान-प्रदान तथा हिंदी की-वर्ड पर गुगल या किसी अन्य सर्च इंजन पर सर्च कर सकते हैं । इसकी जानकारी राजभाषा विभाग की साइट (http://hindietools.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विकसित कराया गया एक मशीनी अनुवाद साफ्टवेयर है 'मन्त्र-राजभाषा' । टैक्नॉलाजी पर आधारित यह सिस्टम सी-डैक,पुणे के एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। मंत्र राजभाषा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में मानक तथा शीघ्र गति से हिंदी अनुवाद में सहायक करते हैं ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सी-डैक पुणे के तकनीकी सहयोग से निर्माण किया बहु उपयोगी शब्दकोश है 'ई-महाशब्दकोश' । इसमें अँग्रेजी का हिंदी पर्याय तथा हिंदी शब्दों का वाक्य में अतिरिक्त प्रयोग देख सकते है। इसकी विशेषता यह है कि हिंदी शब्दों का उच्चारण भी सुन सकते है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों और संगठनों में कर्मचारी अपने क्रियाकलापों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए ई-महाशब्दकोश का इस्तेमाल कर रहे हैं , जो कि एक द्विभाषी-द्विआयामी उच्चारण शब्दकोश है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में सामान्य कार्य करने में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करने में इस शब्दकोश सहायक होते हैं ।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण (ई-लर्निंग) दिया जाता है । अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम http://ctb.rajbhasha.gov.in/ लिंक पर उपलब्ध है ।

'श्रुतलेखन' एक स्पीच टू टेक्सट टूल है , इस विधि में प्रयोक्ता माइक्रोफोन में बोलता है तथा कंप्यूटर में मौजूद स्पीच टू टेक्स्ट प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर पाठ/ टेक्स्ट में बदल कर लिखता है । .

अतः वैश्वीकरण के इस युग में अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिंदी भाषा का भी नेटवर्क़ पूरे विश्व में फैलता जा रहा है । जागरण, वेब दुनिया, नवभारत टाइमस , विकिपिडिया हिंदी , भारत कोष, कविता कोष, गद्य कोष , हिंदी नेक्स्ट डॉट कॉम , हिंदी समय डॉट कॉम , आदि इंटरनेट साइटों पर हिंदी सामग्री देखी जा सकती है। हिंदी में उपलब्ध अनेक वेबसाइटों के माध्यम से देश विदेश की खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। अब भारत दुनिया के बीच में अपना सिर उठाकर खड़ा है ।

जय हिंद जय हिंदी